



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226640  
CG-DL-E-15042021-226640

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943

No. 215]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

**सा.का.नि. 266(अ).**—भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केन्द्र सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम इसके प्रकाशित करने की तारीख से 15 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु लिया जाएगा।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त सुझाव, यदि कोई हो, को अवर सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, बीमा-II अनुभाग, कमरा संख्या 10, जीवन दीप भवन, दूसरा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (7क) के उप-खंड (ख) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (2) के खंड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. (1) इन नियमों को भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 (इसके पश्चात मूल नियम के रूप में संदर्भित) में,—
  - (i) नियम 2 के उप-नियम (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और उप-नियम (1) में इसी प्रकार पुनः क्रमांकित किया जाएगा, -
    - (I) खंड (ग), (ड.), (ट) और (झ) को विलोपित किया जाएगा;
    - (II) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
'(ण) रेसीडेंट इंडियन सिटिजन का ऐसी पालिसी में वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान (निवेश) के संबंध में समय-समय पर बनाए;
    - (III) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
'खंड (त) किसी भारतीय बीमा कंपनी में कुल विदेशी विनिधान (निवेश) का तात्पर्य ऐसी कंपनी में विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि से है, जिसे भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन प्रदत्त तरीकों के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा;'
    - (IV) खंड (त) का विलोप किया जाएगा;
  - (ii) नियम 2 में इस प्रकार से पुनर्संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः:-  
"इसमें उपयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों तथा जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु इसके अधीन बनाए गए अधिनियम या नियम अथवा विनियमों में परिभाषित हैं, का अर्थ अधिनियम या नियम में अथवा विनियमों में उनके लिए नियत क्रमशः वही अर्थ होगा।"
3. मूल नियम में, नियम 3 में "उनचास" शब्द के स्थान पर "चौहत्तर" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. मूल नियम में, नियम 4 में निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
"4. (1) विदेशी विनिधान (निवेश) वाली किसी भारतीय कंपनी में,-  
(क) उसके अधिकांश निदेशक,  
(ख) प्रबंधन से जुड़े अधिकांश प्रमुख व्यक्ति, और  
(ग) उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में कम से कम एक व्यक्ति, निवासी भारतीय नागरिक होगा।  
*स्पष्टीकरण-* इस नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति "प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो कि प्राधिकरण द्वारा भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कार्पोरेटर अभिशासन के संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों में नियत किया गया है।  
(2) विदेशी निवेश रखने वाली प्रत्येक भारतीय बीमा कंपनी जो भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) (संशोधन) नियम, 2021 के आरंभ होने की तिथि को या उससे पूर्व विद्यमान है, ऐसी शुरुआत से एक वर्ष के भीतर उप-नियम (1) के उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।"
- 4क. उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश रखने वाली किसी भारतीय बीमा कंपनी में,-  
(क) वित्तीय वर्ष जिसके लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया गया है और जिसके लिए किसी भी समय ऋण शोधन क्षमता मार्जिन ऋण शोधन क्षमता के नियंत्रण स्तर से 1.2 गुना कम है उस वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ का कम से कम पचास प्रतिशत जनरल रिजर्व में रखा जाएगा; और

(ख) उसके निदेशकों के पचास प्रतिशत से अन्यून निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि उसके बोर्ड का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक न हो, जिस मामले में उसके बोर्ड के एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे।”।

5. मूल नियम में, नियम 5 में “उनचास” शब्द के स्थान पर “चौहत्तर” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल नियम में, नियम 8 में टर्म “फेमा” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 13011/19/2013-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ), तारीख 03 जुलाई, 2015 और सा.का.नि. 314 (अ), तारीख 16 मार्च, 2016 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2021

**G.S.R. 266(E).**—Draft rules to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of fifteen days from the date on which they are published.

Suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to Under Secretary to the Government of India, Department of Financial Service, Insurance-II Section, Room No. 10, Jeevan Deep Building, 2nd floor, Sansad Marg, New Delhi – 110 001.

Suggestions that may be received within the said period shall be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

In exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, read with sub-clause (b) of clause (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called Indian Insurance Companies (Foreign Investment) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) rule 2 shall be numbered as sub-rule (1), and in sub-rule (1) as so renumbered,—

(I) clauses (c), (e), (k) and (l) shall be omitted;

(II) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(o) “Resident Indian Citizen” shall have the meaning assigned to it in such policy as the Central Government may make from time to time on foreign direct investment;’;

(III) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(p) “Total Foreign Investment” in an Indian Insurance Company shall mean the sum total of direct and indirect foreign investment by Foreign Investors in such company,

calculated in accordance with the manner as provided under regulations made by the Authority with regard to registration of Indian Insurance Companies;’;

(IV) clause (q) shall be omitted;

(ii) in rule 2, after the sub-rule (1) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations.”.

3. In the principal rules, in rule 3, for the word “forty-nine”, the word “seventy-four” shall be substituted.

4. In the principal rules, for rule 4, the following rules shall be substituted, namely:—

“4. (1) In an Indian Insurance Company having foreign investment,—

(a) a majority of its directors,

(b) a majority of its Key Management Persons, and

(c) at least one among the chairperson of its Board, its managing director and its Chief Executive Officer,

shall be Resident Indian Citizens.

*Explanation.*—For the purposes of this rule, the expression “Key Management Person” shall have the same meaning as assigned to it in guidelines made by the Authority on corporate governance for insurers in India.

(2) Every Indian Insurance Company having foreign investment, existing on or before the date of commencement of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) (Amendment) Rules, 2021, shall within one year from such commencement comply with the requirements of the provisions of sub-rule (1).”.

4A. In an Indian Insurance Company having foreign investment exceeding forty-nine per cent.,—

(a) for a financial year for which dividend is paid on equity shares and for which at any time the solvency margin is less than 1.2 times the control level of solvency, not less than fifty per cent. of the net profit for the financial year shall be retained in general reserve; and

(b) not less than fifty per cent. of its directors shall be independent directors, unless the chairperson of its Board is an independent director, in which case at least one-third of its Board shall comprise of independent directors.”.

5. In the principal rules, in rule 5, for the word “forty-nine”, the word “seventy-four” shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 8, for the term “FEMA”, the words, figures and brackets “Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)” shall be substituted.

[F. No. 13011/19/2013-Ins.II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 115 (E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3<sup>rd</sup> July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2016 and G.S.R. 619(E), dated the 2<sup>nd</sup> September, 2019.